महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय

चक सकीतरा, कुम्हेर, भरतपुर - 321201

E-mail- vc@msbrijuniversity.ac.in Websit www.msbrijuniversity.ac.in

क्रमांक :– प.4(2)मसूबृवि / बोम / 2023 / 533 दिनांक:–21.03.2023

दिनांक 18.03.2023 को प्रबन्ध–मण्डल की बैठक (विशेष) का कार्यवाही विवरण

मा. कुलपति महोदय की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के प्रबन्ध–मण्डल की 17वीं बैठक (विशेष) दिनांक 18.03.2023 को प्रातः 11:30 बजे विश्वविद्यालय के चक सकीतरा स्थित परिसर के सभाकक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्नांकित सदस्यगण उपस्थित रहे–

1. प्रो. रमेश चन्द्रा, कुलपति, म.सू.बृज विश्वविद्यालय, कुम्हेर, भरतपुर
2. प्रो. जे.पी. शर्मा, पूर्व कुलपति, उदयपुर विश्वविद्यालय माननीय मनोनीत सदस्य, मा. कुलाधिपति एवं राज्यपाल महोदय,
3. प्रो. चन्द्र शेखर, पूर्व हेड, गणित विभाग, बिरला प्रौद्योगिकी विज्ञान संस्थान पिलानी, माननीय मनोनीत सदस्य, मा. कुलाधिपति एवं राज्यपाल महोदय
4. प्रो. जे.पी. यादव, पूर्व कुलपति, मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर, मनोनीत सदस्य, राज्य सरकार
5. श्री वाजिब अली, विधायक नगर, भरतपुर, (ऑनलाइन), मनोनीत सदस्य, राज्य सरकार
6. श्री रोहित बोहरा, विधायक राजाखेडा, धौलपुर, (ऑनलाइन), मनोनीत सदस्य, राज्य सरकार
7. प्रो.. सोहन लाल मीना, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय,जोधपुर, मनोनीत सदस्य, राज्य सरकार
8. डॉ. सुरेश डागुर, प्राचार्य, स्वामी विवेकानन्द पी0जी0 महाविद्यालय भरतपुर, मनोनीत सदस्य, राज्य सरकार
9. श्री सी.एम. कोली, अधिष्ठाता, कला संकाय, एम.एस.जे. कॉलेज भरतपुर, मनोनीत सदस्य, मा. कुलपति महोदय
10. श्रीमती मधु शर्मा, अधिष्ठाता सामाजिक विज्ञान संकाय, मनोनीत सदस्य, मा. कुलपति महोदय।
11. डॉ. बी.के. सिंह, वित्त नियत्रंक, विशेष आमंत्रित सदस्य, म.सू.बृज विश्वविद्यालय, कुम्हेर, भरतपुर।
12. श्री सुभाष चन्द शर्मा, कुलसचिव, सदस्य सचिव

श्री सुभाष चन्द शर्मा, कुलसचिव, सदस्य सचिव ने प्रबन्ध–मण्डल के सभी उपस्थित सदस्यों व सभी सदस्यों का बैठक में स्वागत किया। निवर्तमान कुलपति प्रो. राजेश कुमार सिंह धाकरे जी को उनके सफलता पूर्वक कार्यकाल पूर्ण करने पर बधाई दी गई।

कुलसचिव, श्री सुभाष चन्द शर्मा द्वारा नवनियुक्त कुलपति प्रो. रमेश चन्द्रा का सदन के समक्ष परिचय कराया तथा सभी सदस्यों द्वारा नवागत कुलपति प्रो. रमेश चन्द्रा का स्वागत करते हुए शुभकामनाएं प्रेषित की।

दिनांक 16.03.2023 को सम्पन्न वित्त समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण तथा दिनांक 17.03.2023 को सम्पन्न अकादमिक परिषद की बैठक के कार्यवाही विवरण को सदन के समक्ष विचाराथार्थ प्रस्तुत किया गया तथा चर्चा उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिए गए–

बिन्दु संख्या 1– वित्त समिति की गत बैठक दिनांक 16.03.2023 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन–

बिन्दु संख्या–1(1)	वित्त समिति की गत बैठक दिनांक 25.04.2022 का कार्यवाही विवरण अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। (कार्यवाही विवरण संलग्नक–01)
वित्त समिति का निर्णय	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

प्रबन्ध मण्डल का निर्णय	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
बिन्दु संख्या 1(2)	विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2021–22 में आय राशि 28.12 करोड एवं व्यय 13.78 करोड रूपये (निर्माण व्यय राशि 4.66 करोड रू सहित) हुआ है अन्तिम लेखे प्राप्ति एवं भुगतान खाता, आय व्यय खाता एवं बैलेन्स शीट अवलोकन एवं अनुमोदन हेनु प्रस्तुत है। (संलग्नक–02)
वित्त समिति का निर्णय	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
प्रबन्ध मण्डल का निर्णय	बिन्दु का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। संशोधन – प्रबन्ध मण्डल सदस्य राजाखेडा (धौलपुर) के माननीय विधायक श्री रोहित बौहरा के प्रस्ताव अनुसार आगामी सभी प्रबन्ध मण्डल बैठकों में बजट की बैलेन्स शीट व वित्त समिति का कार्यवाही विवरण बैठक पूर्व ही अग्रिम रूप से भिजवाया जाए।
बिन्दु संख्या 1(3)	विश्वविद्यालय का तृतीय दीक्षान्त समारोह दिनांक 05.04.2023 को आयोजन किया जायेगा जिसमें सभी व्यवस्थाओं पर लगभग 50 लाख रूपये व्यय अनुमानित है जो अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
वित्त समिति का निर्णय	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
प्रबन्ध मण्डल का निर्णय	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
बिन्दु संख्या 1(4)	विश्वविद्यालय के निजी आय से सम्बन्धित अनुमान/संशोधित अनुमान वर्ष 2022–23 एवं अनुमान वर्ष 2023–24 सलंग्न कर समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। (सलंग्न–3)
वित्त समिति का निर्णय	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
प्रबन्ध मण्डल का निर्णय	बैलेन्स शीट सभी माननीय सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत कर दी गयी। बिन्दु सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
एजेण्डा बिन्दु संख्या 1(5)	विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिसर में संचालित पाठ्यक्रमों व आगामी सत्र में आरम्भ किये जाने वाले नवीन पाठ्यक्रमों हेतु केन्द्रीय पुस्तकालय में पाठ्यक्रमवार सन्दर्भ पुस्तकों व जर्नल आदि के क्रय तथा पुस्तकालय के डिजिटलाईजेशन हेतु अनन्तिम रूप से 02 करोड़ रूपये की राशि के बजट प्रावधान अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। पुस्तकालय का उद्घाटन माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।
वित्त समिति का निर्णय	प्रस्तुत एजेण्डा का अनुमोदन किया गया। सुझाव एवं निर्देश प्रदान किये गये कि पुस्तकालय के डिजिटलाईजेशन में Expertise रखने वाली अनुभवी फर्म से लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर व Book Accession Portal का विकास कराया जाये। इस सुविधा का उपयोग विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के अतिरिक्त सभी सम्बद्ध महाविद्यालयों के विद्यार्थी तथा स्वयंपाठी विद्यार्थी भी कर सकेंगे।
प्रबन्ध मण्डल का निर्णय	बिन्दु सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। राज्य सरकार को सूचनार्थ प्रेषित किया जावे।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 1(6)	विश्वविद्यालय में Students Grievance Redressal Portal, Online Affiliation Portal, Student Web Registration Portal, Student Admission Portal का निर्माण व विकास कराने के लिए 20 लाख रूपये बजट राशि का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।
वित्त समिति का निर्णय	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
प्रबन्ध मण्डल का निर्णय	बिन्दु सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। राज्य सरकार को सूचनार्थ प्रेषित किया जावे।
एजेण्डा बिन्दु संख्या 1(7)	विश्वविद्यालय में 20 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान Student Activity Centre की आधारशिला रखे जाने एवं आरम्भ किये जाने पर व्यय किये जाने के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
वित्त समिति का निर्णय	प्रस्तुत एजेण्डा का अनुमोदन किया गया। इस हेतु परीक्षा भवन के सहारे मुख्य वाउंड्रीवाल के मध्य की भूमि चिन्हित की गई है। इसकी आधारशिला भी तैयार कराई जानी है।
प्रबन्ध मण्डल का निर्णय	बिन्दु सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। राज्य सरकार को सूचनार्थ प्रेषित किया जावे।
एजेण्डा बिन्दु संख्या 1(8)	विश्वविद्यालय के वर्तमान पाठ्यक्रमों एवं आगामी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के विश्वविद्यालय प्रांगण में ही निवास हेतु हॉस्टलों के निर्माण हेतु 30 करोड़ रूपये (छात्राओं–15 करोड़ व छात्रों–15 करोड़) की राशि का प्रावधान अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
वित्त समिति का निर्णय	प्रस्तुत एजेण्डा का अनुमोदन किया गया। इस हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव बनाये जाकर भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों को राज्य सरकार के माध्यम से अनुदान प्राप्त करने हेतु भेजे जाने का निर्णय लिया गया :– 1- Department of Social Justice & Empowerment – Rs. 100 Cr. 2- Ministry of Tribal Affairs – Rs. 100 Cr. 3- Ministry of Minority Affairs – Rs. 100 Cr. 4- Ministry of Sports – Rs. 50 Cr. 5- Ministry of Youth Affairs – Youth Hostel – Rs. 50 Cr. 6- Ministry of Women Welfare – Hostel for working women – Rs. 100 Cr. इनकी आधारशिला भी तैयार कराई जानी है।
प्रबन्ध मण्डल का निर्णय	बिन्दु सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। राज्य सरकार को सूचनार्थ प्रेषित किया जावे।
एजेण्डा बिन्दु संख्या 1(9)	विश्वविद्यालय प्रांगण में निर्मित अतिथिगृह के प्रस्तावित एक्सटेंशन हेतु 15 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
वित्त समिति का निर्णय	प्रस्तुत एजेण्डा का अनुमोदन किया गया। अतिथि गृह का नाम Brij University International Center रखा जाना तय किया गया। इसकी आधारशिला भी तैयार कराई जानी है।
प्रबन्ध मण्डल का निर्णय	बिन्दु सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। राज्य सरकार को सूचनार्थ प्रेषित किया जावे।
एजेण्डा संख्या 1(10) बिन्दु	विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिसर में सत्र 2022–23 में क्लास रूम फर्नीचर क्रय बाबत 02 करोड़ रूपये तथा वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु यह प्रावधान 10 करोड़ रूपये के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं
वित्त समिति का निर्णय	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

प्रबन्ध मण्डल का निर्णय	बिन्दु सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। राज्य सरकार को सूचनार्थ प्रेषित किया जावे।
एजेण्डा बिन्दु संख्या 1(11)	विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिसर में संचालित पाठ्यक्रमों में वांछित विभागों/विषयों में प्रयोगशालाओं के विकास जिसमें केमीकल/एजेन्ट/उपकरण आदि का क्रय किया जाना सम्मिलित है, के लिए 10 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
वित्त समिति का निर्णय	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
प्रबन्ध मण्डल का निर्णय	बिन्दु सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। राज्य सरकार को सूचनार्थ प्रेषित किया जावे।
एजेण्डा बिन्दु संख्या 1(12)	विश्वविद्यालय प्रांगण में उद्यानिकी (Horticulture) के विकासात्मक कार्यों एवं उद्यान सौन्दर्यीकरण हेतु 01 करोड़ रूपये के व्यय का प्रावधान अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
वित्त समिति का निर्णय	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। इस हेतु उपलब्धता के आधार पर सेवानिवृत योग्यताधारी विषय विशेषज्ञ की सेवायें ली जावे।
प्रबन्ध मण्डल का निर्णय	बिन्दु सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। राज्य सरकार को सूचनार्थ प्रेषित किया जावे।
एजेण्डा बिन्दु संख्या 1(13)	विश्वविद्यालय में प्रस्तावित औषधि संकाय के अन्तर्गत इन्स्टीट्यूट ऑफ नैनो मेडीकल साइन्स के विकास हेतु 01 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
वित्त समिति का निर्णय	बिन्दु संख्या 17 में सम्मिलित कर दिया गया।
प्रबन्ध मण्डल का निर्णय	बिन्दु सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। राज्य सरकार को सूचनार्थ प्रेषित किया जावे।
एजेण्डा बिन्दु संख्या 1(14)	विश्वविद्यालय में 25 बेड का मिनी हॉस्पिटल सहित स्वास्थ्य केन्द्र (Health Centre) की स्थापना, विकास एवं मानदेय भुगतान हेतु 01 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। मिनी हॉस्पिटल के लिए 02 करोड़ रूपये की अनुदान राशि प्राप्त करने हेतु केन्द्र सरकार के Ministry of Social Justice & Empowerment को प्रस्ताव बनाकर भेजे जाने के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
वित्त समिति का निर्णय	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया तथा स्वास्थ्य केन्द्र के विकास के लिए 01 करोड़ की राशि पृथक करते हुए मानव संसाधन के मानदेय हेतु 50 लाख रूपये की राशि अंतिरिक्त रखी गई है। इसकी आधारशिला भी तैयार कराई जानी है।
प्रबन्ध मण्डल का निर्णय	संशोधन – प्रबन्ध मण्डल सदस्य राजाखेडा (धौलपुर) के माननीय विधायक श्री रोहित बौहरा ने कहा कि विश्वविद्यालय परिसर से लगभग 18 किमी की दूरी पर भरतपुर जिला मुख्यालय पर राजकीय मेडिकल कॉलेज की सुविधा होने से विश्वविद्यालय परिसर में मिनी अस्पताल बनवाने की आवश्यकता नहीं। यहां पीएचसी स्तर का स्वास्थ्य केन्द्र पर्याप्त है। जिसके विकास हेतु राज्य सरकार से प्रशासकीय व वित्तीय अनुमति प्राप्त करें। साथ ही राज्य सरकार से इस बाबत अनुदान प्राप्त करने हेतु उचित पत्र व्यवहार किया जाए। बिन्दु सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
एजेण्डा बिन्दु संख्या 1(15)	विश्वविद्यालय में हैल्थ एजूकेशन डिप्लोमा का पाठ्यक्रम आरम्भ किये जाने हेतु बजट निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है।
वित्त समिति	निर्णय आगामी वित्त समिति की बैठक में रखे जाने तक स्थगित किया गया।

का निर्णय	
प्रबन्ध मण्डल का निर्णय	वित्त समिति के निर्णयानुसार अनुमोदित।
एजेण्डा बिन्दु संख्या 1(16)	1. विश्वविद्यालय में Alumni Association के गठन एवं विकास हेतु छात्र–छात्राओं से परीक्षा शुल्क के साथ 500 रूपये प्रति विद्यार्थी की शुल्क राशि लिये जाने हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तावित है। 2. विश्वविद्यालय में संचालित केन्द्रीय पुस्तकालय के विकास हेतु प्रति विद्यार्थी पुस्तकालय शुल्क 500 रूपये शुल्क राशि लिये जाने हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तावित है। 3. विश्वविद्यालय में प्रति विद्यार्थी विकास शुल्क 500 रूपये शुल्क राशि लिये जाने हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तावित है।
वित्त समिति का निर्णय	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। साथ ही Student Activity Center के विकास हेतु स्टूडेंट वेलफेयर शुल्क के रूप में प्रति विद्यार्थी शुल्क 500 रूपये लिये जाने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त सभी कॉलेजों के प्रवेशित छात्रों तथा स्वयंपाठी छात्रों के अकादमिक सत्र के आरम्भ में ही विश्वविद्यालय में 200 रूपये प्रति छात्र अनुसार रजिस्ट्रेशन शुल्क लिया जाना निश्चित किया गया। इस हेतु एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल का निर्माण विश्वविद्यालय द्वारा कराया जायेगा। ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन कराने वाले विद्यार्थी ही परीक्षा फार्म भरने के लिए अनुमत होंगे। इस हेतु प्रभावी प्रचार प्रसार व पत्र व्यवहार परीक्षा शाखा द्वारा संबंधितों से कराया जायेगा।
प्रबन्ध मण्डल का निर्णय	बिन्दु सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
एजेण्डा बिन्दु संख्या 1(17)	विश्वविद्यालय में प्रस्तावित इन्स्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी साइन्स के विकास हेतु 01 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
वित्त समिति का निर्णय	वेटरनरी साइन्स इन्स्टीट्यूट के स्थान पर निम्नानुसार प्रस्ताव रखते हुए निर्णय लिये गये :– 1- Institute of Bio-Medical Science – (proposal of Rs. 500 Cr demand to be sent to Department of Bio Technology of Central Govt.) 2- Institute of Nano-Medical Science - (proposal of Rs. 537 Cr demand to be sent to Health Ministry and ICMR) 3- Institute of Forensic Science – (proposal of Rs. 100 Cr demand to be sent to Ministry of Home Affairs of Central Govt.) 4- Institute of Food Processing 5- Institute of Ayush - (proposal of Rs. 100 Cr demand to be sent to Department of Ayush of Central Govt.) 6- Institute of Environment Study and Climate Change – (proposal of Rs. 50 Cr demand to be sent to Ministry of Environment) 7- Regional Science Sophisticated Instrumentation Centre - (proposal of Rs. 100 Cr demand to be sent to Department of Bio Technology of Central Govt.) फिलहाल विश्वविद्यालय की तरफ से प्रत्येक संस्थान के संस्थापन हेतु विश्वविद्यालय मद से 01–01 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है।
प्रबन्ध मण्डल का निर्णय	बिन्दु सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। राज्य सरकार को सूचनार्थ प्रेषित किया जावे।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 1(18)	विश्वविद्यालय के ग्लोबल परिसर में संचालित वर्तमान पाठ्यक्रम व प्रस्तावित नवीन शैक्षणिक विभागों के अकादमिक दायित्वों तथा विभागीय व्यय हेतु आरम्भिक रूप से 50 लाख रूपये प्रति विभाग के व्यय का प्रावधान अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। विश्वविद्यालय में वर्तमान में संचालित 07 संकायों के अतिरिक्त 09 नये संकाय आरम्भ किया जाना तथा इनके अन्तर्गत लगभग 39 की संख्या में अलग–अलग संस्थानों की स्थापना व विकास किया जाना निम्न विवरणानुसार प्रस्तावित है :–

Sr. No.	Name of faculty	Number of Institute	Number of Employees (Approx.)	Estimated Expenditure (in Rs.)	
1	Faculty of Arts	07	98	7,28,00,000/-	अकादमिक सत्र 2023–24 हेतु इस खर्चे मे से फिलहाल प्रति विभाग 50 लाख रूपये अनुसार कुल राशि 8 करोड रूपये का प्रावधान किया जा रहा है।
2	Faculty of Social Science	01	14	1,04,00,000/-	
3	Faculty of Home Science	01	16	1,08,00,000/-	
4	Faculty of Law	01	14	1,04,00,000/-	
5	Faculty of Science	04	56	4,16,00,000/-	
6	Faculty of Regional & Environment Studies	01	16	1,08,00,000/-	
7	Faculty of Education	02	16	2,16,00,000/-	
8	Faculty of Music & Fine Arts	01	16	1,08,00,000/-	
9	Faculty of Commerce & Business Studies	01	14	1,04,00,000/-	
10	Faculty of Management Studies	02	28	2,08,00,000/-	
11	Faculty of Architecture	01	16	1,08,00,000/-	
12	Faculty of Agriculture	02	28	2,08,00,000/-	
13	Faculty of Engineering & Technology	04	56	4,16,00,000/-	
14	Faculty of Medicine	06	96	6,48,00,000/-	
15	Faculty of Inter-Disciplinary & Applied Sciences	04	56	4,16,00,000/-	
16	Faculty of Ayurveda & Alternate Medicine	01	16	1,08,00,000/-	
	Total	39	556	41,08,00,000/-	

वित्त समिति का निर्णय	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। राज्य सरकार से स्वीकृत शैक्षणिक व अशैक्षणिक पदों की भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किये जाने तथा अन्य वांछित पदों की भर्ती से पूर्व इनके सृजन की अनुमति राज्य सरकार से लिये जाने का निर्णय लिया गया।
प्रबन्ध मण्डल का निर्णय	बिन्दु सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। राज्य सरकार को सूचनार्थ प्रेषित किया जावे।

बैठक में निम्नलिखित टेबिल एजेण्डा बिन्दुओं पर भी चर्चा कर निम्न निर्णय लिए गए:–

क्र. सं.	टेबिल एजेण्डा बिन्दु
टेबल एजेण्डा 01	विश्वविद्यालय में हॉट–लाईन की तर्ज पर उचित कम्यूनिकेशन व्यवस्था हेतु 128 पोर्ट का EPBAX (Extendable) / IP Phone सिस्टम क्रय किया जाकर स्थापित कराये जाने के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
वित्त समिति का निर्णय	सर्वसम्मति से अनुमोदन करते हुए इस बाबत लागत 01 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया।

प्रबन्ध मण्डल का निर्णय	बिन्दु सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। राज्य सरकार को सूचनार्थ प्रेषित किया जावे।
टेबल एजेण्डा 02	सम्बद्धता अधिसूचना 2023–24 विगत सत्र की अपेक्षा सभी पाठ्क्रमों, विषयों व सीट अभिवृद्धि प्रकरण 20 प्रतिशत की शुल्क अभिवृद्धि के साथ किये जाने का प्रस्ताव रखा गया।
वित्त समिति का निर्णय	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
प्रबन्ध मण्डल का निर्णय	प्रबन्ध मण्डल ने संशोधन किया कि एक साथ 20 प्रतिशत की अभिवृद्धि के स्थान पर 10 प्रतिशत की अभिवृद्धि की जाए। बिन्दु सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
टेबल एजेण्डा 03	02 बस (47 सीटर) व महिन्द्रा कवर्ड लोडर वाहन क्रय किया जाने का प्रस्ताव रखा गया।
वित्त समिति का निर्णय	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
प्रबन्ध मण्डल का निर्णय	संशोधन– प्रबन्ध मण्डल ने कई वित्तीय जिम्मेदारियों व अनावश्यक खर्चों से बचने के लिए बस क्रय करने की अनुमति नहीं दी। इसके स्थान पर आवश्यकता अनुसार बसें उचित प्रक्रिया अपनाकर किराये पर लिये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही कवर्ड लोडर वाहन तथा 02 ई–रिक्शा क्रय किये जाने का निर्णय लिया गया।
टेबल एजेण्डा 04	विश्वविद्यालय के अतिथि भवन जिन कक्षों में एयर कन्डीशनर नही लगे हैं उनमें तथा प्रशासनिक भवन व परीक्षा भवन के अधिकारी कक्षों में एयर कन्डीशनर लगवाये जाने व अन्य स्थानों हेतु 20 कूलर क्रय किये जाने का प्रस्ताव रखा गया। इस हेतु •5 लाख रूपये के व्यय का प्रस्ताव रखा गया।
वित्त समिति का निर्णय	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
प्रबन्ध मण्डल का निर्णय	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
टेबल एजेण्डा 05	विश्वविद्यालय की मुख्य बाउंड्री वॉल पर प्रकाश की व्यवस्था हेतु लाइटें लगवाये जाने हेतु 15 लाख रूपये की बजट राशि का प्रस्ताव रखा गया।
वित्त समिति का निर्णय	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
प्रबन्ध मण्डल का निर्णय	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
टेबल एजेण्डा 06	परीक्षा भवन में वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप जगह न होने के क्रम में परीक्षा भवन के ऊपर वर्तमान कॉलम की मजबूती के अनुरूप अधिकतम 03 मंजिल तथा निर्माणाधीन कुलपति सचिवालय भवन के ऊपर 02 और मंजिलों का निर्माण कराने का निर्णय लेते हुए इस हेतु 15 करोड़ रूपये के व्यय का प्रस्ताव रखा गया।
वित्त समिति का निर्णय	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
प्रबन्ध मण्डल का निर्णय	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
टेबल एजेण्डा 07	विश्वविद्यालय में 01 ट्रांजिट हॉस्टल का निर्माण कराये जाने हेतु अनुमानित लागत 05 करोड रूपये का व्यय प्रस्तावित है।
वित्त समिति का निर्णय	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

प्रबन्ध मण्डल का निर्णय	संशोधन– प्रबन्ध मण्डल ने इसकी प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति राज्य सरकार से लेने के निर्देश दिये। स्वीकृति प्राप्त होने तथा कार्य पूर्ण होने तक विश्वविद्यालय से भरतपुर जिला मुख्यालय के मध्य अवस्थित विशिष्ट अतिथियों व अन्य अतिथियों के अनुरूप सुविधा युक्त होटलों में सुइट व कक्षों की दरें उचित प्रक्रिया के माध्यम से अनुमोदित करा ली जावें।
टेबल एजेण्डा 08	विश्वविद्यालय द्वारा जमीन उपलब्ध कराते हुए प्रांगण में 01 केन्द्रीय विद्यालय आरम्भ किये जाने हेतु प्रस्ताव केन्द्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय को भेजे जाने के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
वित्त समिति का निर्णय	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
प्रबन्ध मण्डल का निर्णय	इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के माध्यम से केन्द्र सरकार के साथ प्रस्ताव बनाकर पत्र व्यवहार किया जाए।
टेबल एजेण्डा 09	विश्वविद्यालय में स्टाफ क्वार्टरस् के निर्माण हेतु 50 करोड़ रूपये की बजट राशि का प्रावधान करते हुए अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
वित्त समिति का निर्णय	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
प्रबन्ध मण्डल का निर्णय	बिन्दु सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। राज्य सरकार को सूचनार्थ प्रेषित किया जावे।
टेबल एजेण्डा 10	स्थायी भर्तीयां होने तक विश्वविद्यालय में कार्यव्यवस्थार्थ अध्यापन हेतु Professor Emeritus/ Professor Adjunct (Retd.) लगाये जाने तथा इनके वार्षिक मानदेय व्यय बाबत 02 करोड रूपये की बजट राशि का प्रावधान अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
वित्त समिति का निर्णय	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
प्रबन्ध मण्डल का निर्णय	बिन्दु सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। राज्य सरकार को सूचनार्थ प्रेषित किया जावे।
टेबल एजेण्डा 11	विश्वविद्यालय की प्रस्तावित योजनाओं के केन्द्र सरकार, राज्य सरकार व अन्य वांक्षित प्लेटफार्म पत्र व्यवहार आदि हेतु व भविष्य की कार्य योजनाओं का खाका तैयार करने हेतु विश्वविद्यालय में Officer on Special duty (OSD) की संविदा नियुक्ति हेतु 20 लाख रूपये वार्षिक व्यय का प्रावधान करते हुए अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
वित्त समिति का निर्णय	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
प्रबन्ध मण्डल का निर्णय	बिन्दु सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। राज्य सरकार को सूचनार्थ प्रेषित किया जावे।

बिन्दु संख्या–3 – प्रबन्ध–मण्डल की बैठक के दौरान उपुर्यक्त के अतिरिक्त निम्नांकित प्रस्ताव मा. अध्यक्ष महोदय/कुलपति महोदय की अनुमति से रखते हुए निर्णय लिए गए –

एजेण्डा 01	प्रबन्ध मण्डल के माननीय सदस्य प्रो. जे.पी.यादव ने प्रस्ताव रखा कि विश्वविद्यालय प्रांगण में कुलपति आवास का निर्माण पूर्ण होने तक कुलपति आवास की उचित व्यवस्था भरतपुर जिला मुख्यालय पर की जावे।
निर्णय	बिन्दु सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
एजेण्डा 02	प्रबन्ध मण्डल के माननीय सदस्य प्रो. जे.पी.शर्मा ने प्रस्ताव रखा कि विश्वविद्यालय की अकादमिक व प्रशासकीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान. भूमि क्षेत्र के अतिरिक्त उचित स्थान पर 500 एकड़ भूमि आवंटन की मांग राज्य सरकार से की जावे।
निर्णय	बिन्दु सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

एजेण्डा 03	प्रबन्ध मण्डल के माननीय सदस्य प्रो. चन्द्र शेखर ने प्रस्ताव रखा कि विश्वविद्यालय को छात्रों से सम्बन्धित, परिसर विकास व अकादमिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भामाशाहों से वित्तीय/अन्य मदद लिया जाना उचित होगा।
निर्णय	बिन्दु सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
एजेण्डा 04	प्रबन्ध मण्डल के माननीय सदस्य प्रो. जे.पी.यादव ने प्रस्ताव रखा कि CSR प्राप्त करने के लिए राज्य एवं केन्द्र सरकार के अधीन सम्बन्धित मंत्रालयों में पंजीकरण करा लिया जावे।
निर्णय	बिन्दु सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
एजेण्डा 05	प्रबन्ध मण्डल के माननीय सदस्य प्रो. सोहनलाल मीणा ने विश्वविद्यालय परिसर को ग्रीन कैम्पस बनाने व सोलर एनर्जी के गैर परम्परागत ऊर्जा स्त्रोत विकसित करने का प्रस्ताव रखा।
निर्णय	बिन्दु सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
एजेण्डा 06	प्रबन्ध मण्डल के माननीय सदस्य डॉ. सुरेश डागुर विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में वीक्षकों, पर्यवेक्षकों, केन्द्राधीक्षक आदि के मानदेय बढाये जाने का प्रस्ताव रखा।
निर्णय	संशोधन – प्रबन्ध मण्डल ने सुझाव दिया कि वर्तमान मानदेय व विगतवार की गयी अभिवृद्धि का तार्किक परीक्षण कर समीचीन निर्णय लिया जावे।

बिन्दु संख्या–2 अकादमिक परिषद (दिनांक 17.03.2023) के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

क्र.सं	एजेण्डा बिन्दु
1.	दिनांक 17.03.2023 को आयोजित अकादमिक परिषद की बैठक के कार्यवाही विवरण पटल के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया तथा चर्चा उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिए गए– (परिशिष्ट–02)
बिन्दु 1(i).	वर्ष 2020 की परीक्षा के 05 पाठ्यक्रमों के सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के पदकों का अनुमोदन।
अकादमिक परिषद निर्णय	अकादमिक परिषद् के सभी सम्मानित सदस्यों के द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
प्रबन्ध–मण्डल निर्णय	राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय से अनुमोदनार्थ प्रबन्ध–मण्डल द्वारा संस्तुत किया गया।
बिन्दु 1(ii).	विश्वविद्यालय के वर्ष 2021 में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को प्रदान की जाने वाली उपाधियों का अनुमोदन।
अकादमिक परिषद निर्णय	अकादमिक परिषद् के सभी सम्मानित सदस्यों के द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
प्रबन्ध–मण्डल निर्णय	राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय से अनुमोदनार्थ प्रबन्ध–मण्डल द्वारा संस्तुत किया गया।
बिन्दु 1(iii).	तृतीय दीक्षांत समारोह में वर्ष 2021 में सर्वोच्च अंक प्राप्तकर्ता विद्यार्थियों को प्रदान किये जाने वाले पदकों का अनुमोदन।
अकादमिक परिषद निर्णय	अकादमिक परिषद् के सभी सम्मानित सदस्यों के द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
प्रबन्ध–मण्डल निर्णय	राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय से अनुमोदनार्थ प्रबन्ध–मण्डल द्वारा संस्तुत किया गया।
बिन्दु 1(iv).	तृतीय दीक्षांत समारोह के आयोजन व उपाधियॉ प्रदान किये जाने हेतु कुलाधिपति महोदय द्वारा अनुमोदन के संबध में पत्र प्रेषित कर अनुरोध किये जाने का अनुमोदन।
अकादमिक परिषद निर्णय	अकादमिक परिषद् के सभी सम्मानित सदस्यों के द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
प्रबन्ध–मण्डल निर्णय	राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय से अनुमोदनार्थ प्रबन्ध–मण्डल द्वारा संस्तुत किया गया।

बिन्दु 1(v).	विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षान्त समारोह में प्रतिभाग करने वाले सभी माननीय अतिथिगण, प्रबन्ध–मण्डल व अकादमिक परिषद के सम्मानित सदस्यगण को निमंत्रण तथा प्रबन्ध–मण्डल, अकादमिक परिषद के सम्मानित सदस्यगण, छात्र–छात्राओं हेतु निर्धारित ड्रेस कोड का अनुमोदन किया जाना है।
अकादमिक परिषद निर्णय	अकादमिक परिषद् के सभी सम्मानित सदस्यों के द्वारा ड्रेस कोड का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
प्रबन्ध–मण्डल निर्णय	अकादमिक परिषद् के सभी सम्मानित सदस्यों ने इस निर्णय का स्वागत किया तथा इसके अनुमोदन हेतु माननीय राज्यपाल महोदय को प्रेषित किये जाने अनुसंशा की।
बिन्दु 1(vi).	दिनांक 05.04.2023 को आयोजित होने वाले तृतीय दीक्षांत समारोह में पाँच अतिविशिष्ट व्यक्तियों को मानद डॉक्ट्रेट उपाधियाँ प्रदान की जानी है, जो निम्नवत हैं :– (a) Prof. Roger D. Kornberg, Nobel Laureate, Stanford University, USA. (b) Prof. Ved Prakash Nanda, Denver University, USA. (c) Dr. Dasaku Ikeda, President, Soka Gakkai International. (d) Sh. R Venkatramani, Attorney General of India, New Delhi. (e) Hon'ble Justice Dalveer Bhandari, International Court of Justice, Hague, Netherlands.
अकादमिक परिषद निर्णय	अकादमिक परिषद् के सभी सम्मानित सदस्यों ने इस निर्णय का स्वागत किया तथा इसके अनुमोदन हेतु माननीय राज्यपाल महोदय को प्रेषित किये जाने अनुसंशा की।
प्रबन्ध–मण्डल निर्णय	माननीय कुलाधिपति महोदय के कार्यालय से अनुमोदन प्राप्त करने के संदर्भ में सभी महानुभावों के विस्तृत जीवनवृत के साथ प्रेषित किया जाय एवं नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
बिन्दु 1(vii)	तृतीय दीक्षान्त समारोह के दीक्षान्त भाषण देने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली, जोधपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर तथा कोटा ओपन विश्वविद्यालय कोटा के पूर्व कुलपति प्रो० वी. आर. मेहता का नाम प्रस्तावित किया गया।
अकादमिक परिषद निर्णय	अकादमिक परिषद् के सभी सम्मानित सदस्यों के द्वारा उनके नाम की सर्वसम्मति से संस्तुति की गयी तथा अनुमोदन हेतु माननीय राज्यपाल महोदय को इस संदर्भ में पत्र प्रेषित किए जाने अनुशंषा की गयी।
प्रबन्ध–मण्डल निर्णय	माननीय कुलाधिपति महोदय के कार्यालय से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रेषित किया जाय।
2.	सत्र 2023–24 से परिसर में प्रस्तावित पाठ्यक्रमों को शुरू किया जाना है। इस हेतु पूर्व से स्थापित 07 संकायों सहित 08 नए संकायों में 126 विभाग, 09 विशेष रिसर्च सेन्टर व 36 उच्च अध्ययन संस्थान स्थापित किए जाने हैं। सूची संलग्न कर स्थापना के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।
अकादमिक परिषद निर्णय	अकादमिक परिषद् के सभी सम्मानित सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित पूर्व से स्थापित 07 संकायों सहित 08 नए संकायों में 126 विभाग, 09 विशेष रिसर्च सेन्टर व 36 उच्च अध्ययन संस्थान स्थापित किये जाने का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। साथ ही नये पाठ्यकम तैयार कर जुलाई 2023 से आरम्भ होने वाले आगामी अकादमिक सत्र से अध्ययन आरम्भ करने एवं इस हेतु भवन, शिक्षक, रिसोर्स पर्सन सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ विश्वविद्यालय द्वारा प्रशासनिक स्तर पर किये जाने की अनुशंसा की।
प्रबन्ध–मण्डल निर्णय	विश्वविद्यालय द्वारा नवीन संकायों, विभागों, विशेष रिसर्च सेंटर, उच्च अध्ययन संस्थान, प्रारम्भ किये जाने के बारे में राज्य सरकार को सूचित किया जाना आवश्यक है। सभी कोर्स एन.इ.पी. के अनुसार ही तैयार किए जाएँ। मा. सदस्य प्रो. चन्द्रशेखर ने सुझाव दिया कि प्रयोशालाओं की स्थापना भी पूर्व से ही की जाए एवं मा. सदस्य श्री वाजिब अली द्वारा चरणबद्ध योजना तैयार किये जाने की बात रखी। प्रस्ताव अनुमोदित।

बिन्दु 3	परिसर में छात्र–छात्राओं के चतुर्दिक विकास हेतु सेना के तीनों विंग्स (जल, थल, नभ) में एन.सी.सी. के इकाईयों की स्थापना की जानी प्रस्तावित है। इस हेतु सेना के तीनों विंग्स के सक्षम अधिकारियों को प्रस्ताव भेजने होंगे। अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।
अकादमिक परिषद निर्णय	अकादमिक परिषद् के सभी सम्मानित सदस्यों के द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
प्रबन्ध–मण्डल निर्णय	सभी सम्मानित सदस्यों के द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
बिन्दु 4	परिसर के छात्र–छात्राओं के लिए एन.एस.एस. की स्थापना की जानी प्रस्तावित है। इस हेतु राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा जाना है। अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।
अकादमिक परिषद निर्णय	अकादमिक परिषद् के सभी सम्मानित सदस्यों के द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
प्रबन्ध–मण्डल निर्णय	सभी सम्मानित सदस्यों के द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

बैठक में निम्नलिखित टेबिल एजेण्डा बिन्दुओं पर भी चर्चा कर निम्न निर्णय लिए गए:–

क्र. सं.	टेबिल एजेण्डा बिन्दु
टी.1	राजकीय व निजी महाविद्यालय में विद्यार्थियों के पंजीकरण– सभी प्रवेशित छात्र–छात्राओं का विश्वविद्याल के द्वारा विकसित पोर्टल के माध्यम से सशुल्क पंजीकरण किया जाना आवश्यक हैं, अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।
अकादमिक परिषद निर्णय	अकादमिक परिषद् के सभी सम्मानित सदस्यों के द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। इस हेतु प्रशासनिक स्तर प्रथक से आदेश किये जा सके।
प्रबन्ध–मण्डल निर्णय	प्रो. जे.पी. शर्मा द्वारा सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा स्वयं का एम.आई.एस. पोर्टल विकसित करते हुए कार्य पूर्ण किया जाय। अनुमोदन किया गया।
टी.2	सम्मानित सदस्य श्री अशोक अग्रवाल ने विश्वविद्यालय परिसर में पूर्व से चल रहे पाठयक्रमों में योग्य एवम् अनुभवी शिक्षकों की स्थानीय स्तर पर अनुपलब्धता पर चिंता व्यक्त की तथा आगामी सत्र में आरम्भ होने वाले पाठयक्रमों हेतु योग्य एवम् अनुभवी शिक्षकों की व्यवस्था किये जाने हेतु अकादमिक परिषद से अनुरोध किया।
अकादमिक परिषद निर्णय	इस सम्बन्ध में चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया कि दिनांक 06.04..2021 को आयोजित प्रबन्ध मण्डल की बैठक के निर्णय बिन्दु संख्या 10 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में गेस्ट फेकल्टी/एडजंक्ट फेकल्टी की व्यवस्था की जाए। इस संदर्भ में विज्ञापन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया तथा कुलपति महोदय द्वारा तात्कालीन व्यवस्था के रूप में Visiting Faculty/Adjunct Faculty एवम् (Professor Emeritus/Honorary Professor) की सूची का भी अनुमोदन किया गया। साथ ही Visiting Faculty की व्यवस्था हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।
प्रबन्ध–मण्डल निर्णय	विद्या संबल योजना के तहत नियमानुसार व्यवस्था की जाय। एडजंक्ट फेकल्टी एवम् Professor Emeritus/Honorary Professor की नियमानुसार व्यवस्था करते हुए राज्य सरकार को सूचित करें।
टी.3	पुस्तकालय सुविधा– विश्वविद्यालय व दूसरे सभी सम्बद्ध महाविद्यालयों में शोधरत, अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के प्रयोग हेतु केन्द्रीय पुस्तकालय स्थापित किया जाना है।
अकादमिक परिषद निर्णय	केन्द्रीय पुस्तकालय जिसमें प्रिन्टेड शोध पत्रिकाओं, संदर्भ ग्रन्थ, पत्रिकाओं के साथ–साथ डिजिटल स्वरूप में शोध/अध्ययन सामग्री छात्र–छात्राओं को उपलब्ध कराई जाएगी। इस हेतु दिनांक 16.03.2023 को सम्पन्न वित्त कमेटी की बैठक में 02 करोड का बजट स्वीकृत कर लिया गया है।
प्रबन्ध–मण्डल निर्णय	अनुमोदन किया गया। राज्य सरकार को सूचित किया जाना आवश्यक है।
टी.4	कुलपति महोदय द्वारा बताया गया कि विश्वविद्यालय में एक स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर बनवाया जाना प्रस्तावित है।

अकादमिक परिषद निर्णय	अकादमिक परिषद् के सभी सम्मानित सदस्यों के द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। इस हेतु दिनांक 16.03.2023 को सम्पन्न वित्त कमेटी की बैठक में 20 करोड का बजट स्वीकृत कर लिया गया है।
प्रबन्ध–मण्डल निर्णय	अनुमोदन किया गया। राज्य सरकार को सूचित किया जाना आवश्यक है।
टी.5	विश्वविद्यालय में विश्वस्तरीय सुविधाओं की स्थापना एवं विकास के लिए पूर्व से निर्धारित विकास शुल्क में वृद्धि तथा एल्यूमिनाई शुल्क, केन्द्रीय डिजिटल लाईब्रेरी शुल्क एवं छात्र कल्याण शुल्क लिये जाने हेतु दिनांक 16.03.2023 को सम्पन्न वित्त कमेटी की बैठक में निर्णय किये गये हैं। माननीय राज्यपाल सचिवालय, जयपुर से पूर्व में प्राप्त निर्देशों (एफ. 1(38) आर बी/2015/6462 दिनांक 21.08.2017 की पालना में प्रतिवर्ष दस प्रतिशत शुल्क में वृद्धि के निर्देश दिए गए थे। परन्तु कोविड की विषम परिस्थितियों के कारण विगत दो वर्षों से कोई शुल्क वृद्धि नहीं की गई। नवीन शुल्क व्यवस्था लागू किये जाने के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।
अकादमिक परिषद निर्णय	सभी सम्मानित सदस्यों के द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
प्रबन्ध–मण्डल निर्णय	सभी सम्मानित सदस्यों के द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

सदस्य सचिव श्री सुभाष चन्द शर्मा द्वारा मा. अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यों को धन्यवाद देते हुए बैठक सम्पन्न हुई।

(सुभाष चन्द शर्मा)
कुलसचिव

रमेश चन्द्रा
(प्रो. रमेश चन्द्रा)
कुलपति